ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (शहरी) की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/08 से 3/13

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (शहरी) हिमाचल प्रदेश की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अवधि 4/08 से 3/13 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Goverance दिनाँक 3.9.05 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 27.1.14 से दिनाँक 28.2.14 के दौरान तथा केन्द्रीय ईकाई के सहित 7.6.14 तक उपमण्डलाधिकारी, शिमला (शहरी) के कार्यालय में किया गया। इससें पूर्व की अवधि 7/06 से 3/08 का अभिलेख विजिलेंस विभाग द्वारा जब्त किया गया है जिसकी जानकारी संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट "A"** पर संलग्न पत्र के अनुसार लेखा परीक्षा को अंकेक्षण को दी गई है।

निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2006–07	–	–
2007–08	–	–
2008–09	06/08	12/08
2009–10	03/10	09/09
2010–11	12/10	12/10
2011–12	03/12	03/12
2012–13	03/13	03/13

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेंस सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (शहरी) के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एंव सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपमण्डलाधिकारी शिमला शहरी एवं आर0एल0ए0 (शहरी) के रूप में कार्यरत्त रहेः–

उपमण्डलाधिकारी एवं आर0एल0ए0 (शहरी) शिमला	**अवधि**
श्री जी0सी0 नेगी (एच0ए0एस0)	08.5.06 से 02.2.09
श्री आशीष कोहली (एच0ए0एस0)	08.4.09 से 18.5.11
श्री संजीव कुमार (एच0ए0एस0)	18.5.11 से 08.1.13
श्री जी0सी0 नेगी (एच0ए0एस0)	9.11.13 से 31.3.13

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**राशि लाखों में**
1	4	परिवहन विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त उपयोक्ता प्रभार/आय का **25%** भाग परिवहन विभाग खाते में जमा न करना	विवरण पैरे में दिया गया है
2	7	केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त स्टोर/स्टॉक का लेखाँकन न करना	विवरण पैरे में दिया गया है
3	8	ई–गवर्नेंस सोसाईटी (RLA) शिमला (शहरी) द्वारा क्रय की गई तथा सुगम केन्द्र को जारी की गई सामग्री पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताऐं	विवरण पैरे में दिया गया है

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, आर0एल0ए0 शिमला (शहरी) की अवधि 4/08 से 3/13 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹**13800/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनाँक 26.6.14 द्वारा उपमण्डलीय अधिकारी शिमला शहरी से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारण, शिमला (शहरी) द्वारा प्रस्तुत आर0एल0ए0 शिमला (शहरी) की अंकेक्षणाधीन अवधि की उपयोक्ता प्रभार निधियों के रूप में प्राप्त राशियों तथा व्यय की राशियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** में दी गई है।

(ख) ई–गवर्नेंस सोसाईटी, शिमला (शहरी) की अवधि 1.4.08 से 31.3.13 की उपयोक्ता प्रभार निधियों से माह–बार प्राप्त आय तथा केन्द्रीय ईकाई शिमला में जमा करवाई गई राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में संलग्न है। उक्त **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारण, शिमला (शहरी) में **"Own Share"** के रूप में वर्ष 2008–09 में ₹312984/–, वर्ष 2009–10 में ₹327969/–, वर्ष 2010–11 में ₹371298/–, वर्ष 2011–12 में ₹327598/– तथा वर्ष 2012–13 में ₹321451/– दर्शाई गई है परन्तु वितीय स्थिति के अनुसार उपयोक्ता प्रभार निधियों की आय के रूप में वर्ष 2008–09 में ₹325180/–, वर्ष 2009–10 में ₹327969/–, वर्ष 2010–11 में ₹379451/–, वर्ष 2011–12 में ₹425176/– तथा वर्ष में 2012–13 में ₹322107/– दर्शाई गई है। इस प्रकार वर्ष 2009–10 को छोड़कर अन्य वर्षों में उक्त **परिशिष्ट "ख"** में **"Own Share"** के रूप में दर्शाई गई गई राशि तथा वितीय स्थिति में आय के रूप में दर्शाई गई राशि के आंकड़ों में अन्तर पाया गया। अतः उक्त अन्तर का मिलान करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति के अनुसार 4/08 को रोकड़ बही का प्रारम्भिक शेष ₹188803/– दर्शाया गया है जिसकी जाँच पूर्व की रोकड़ बही व अन्य अभिलेख के अभाव में नहीं की जा सकी।

4 परिवहन विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त उपयोक्ता प्रभार/आय का 25% भाग परिवहन विभाग खाते में न जमा करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT F(1) 3-2000-e-Goverance दिनाँक 3.9.05 की धारा 3 (A) के अनुसार उपयोक्ता प्रभार निधियों से (आर0एल0ए0) को प्राप्त होने वाली आय में से 25% भाग प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग में चालान द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित था। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि RLA-Cum-SDM (Urban) Shimla द्वारा **परिशिष्ट "ख"** पर दी गई विवरणिका के अनुसार नम्बर–07 से 31.3.13 के दौरान उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त कुल आय में से केवल ₹95502/–ही परिवहन विभाग में जमा की गई दर्शाई गई है जबकि परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय का 25% भाग परिवहन विभाग के अन्तर्गत चालान द्वारा कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था तथा बकाया राशि को 50% के हिसाब से सम्बन्धित आर0एल0ए0 तथा जिला केन्द्रीय ईकाई में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग में

सम्पूर्ण आय का 25% भाग जमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त अधिसूचना के अनुसार अब तक प्राप्त आय के 25% भाग की जो राशि परिवहन विभाग को जमा नहीं की गई है उसे शीघ्र जमा करवाया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 एफ (1) 3/2000–ई गवर्नेंस दिनाँक 3.9.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुये प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी जबकि सोसाईटी द्वारा वर्ष के अन्त में न तो Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुए उक्त निधि की प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

6 ई–गवर्नेंस सोसाईटी की उपयोक्ता प्रभार निधि से अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल चार्जिज के प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित मानदेय का भुगतान करने बारेः–

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेंस सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई शिमला जिला शिमला के सदस्य सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या SML-NZ-EGSS) 2006-155-57 दिनाँक 12.10.07 के अनुसार प्रत्येक उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निम्नलिखित दर से प्रतिमाह के हिसाब से मोबाईल बिल के प्रतिपूर्ति हेतु मानदेय का भुगतान करने के आदेश पारित किये।

उपमण्डलाधिकारी	₹500 प्रतिमाह
तहसीलदार व नायब तहसीलदार	₹300 प्रतिमाह
चालकों	₹100 प्रतिमाह और माह 7/12 से ₹200 प्रतिमाह

उक्त भत्ते/मानदेय का भुगतान जिन नियमों के अन्तर्गत किया गया उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके साथ–2 हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ–(1) 3/2000 ई–गवर्नेंस दिनाँक 3.9.05 के अन्तर्गत भी इस प्रकार का भुगतान करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। अतः सोसाईटी द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय में से किये गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए जिन नियमों के अन्तर्गत यह

भुगतान किया गया उन नियमों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा इस प्रकार के अनियमित भुगतान की अविलम्ब वसूली करके सोसाईटी की निधि में जमा की जाये।

7 केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त स्टोर/स्टॉक का लेखाँकन न करने बारेः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (शहरी) के कार्यालय में केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त सामग्री/उपकरणों के रख–रखाव के लिए स्टोर/स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाये गये है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त होने वाले उपकरणों व अन्य सामग्री के रख–रखाव के लिए अलग–2 रजिस्टर लगाये जाएं तथा प्रत्येक मद का पूर्ण विवरण मदवार अलग–2 पृष्ठों पर देकर स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ की जाए। इसके अतिरिक्त प्राप्त उपकरणों एवं स्टॉक की सामग्री को जिस–2 अधिकारी/कर्मचारी को जारी किया गया है उनका नाम, शाखा का नाम तथा तिथिवार ब्यौरा स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि प्राप्त की गई सामग्री तथा उसके उपयोग की ठीक ढ़ंग से जाँच की जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 ई–गवर्नेंस सोसाईटी (RLA) शिमला (शहरी) द्वारा क्रय की गई तथा सुगम केन्द्र को जारी की गई सामग्री पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताऐंः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (शहरी) द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधियों से समय–2 पर कार्यालय तथा सुगम केन्द्र में उपयोग होने वाली स्टेशनरी की खरीद की गई थी। अंकेक्षण के दौरान टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि क्रय की गई स्टेशनरी की प्रविष्टि तो स्टॉक रजिस्टर में की गई है परन्तु उसे सीधा सुगम केन्द्र को जारी किया गया दर्शाया गया है जबकि यह स्टेशनरी जिस–2 अधिकारी/कर्मचारी को सुगम केन्द्र में जारी की गई उसका नाम/विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया जाना अपेक्षित था तथा उनसे पावती भी प्राप्त करनी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी का कितनी–2 मात्रा में कौन–2 सी तिथियों में जारी की गई उसे भी स्पष्ट नहीं किया गया था जोकि एक अनियमित है। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्टेशनरी को जारी करते समय उतनी ही मात्रा में स्टेशनरी सम्बन्धित शाखा को जारी की जाये जितनी आवश्यकता है तथा जिस अधिकारी/कर्मचारी को स्टेशनरी जारी की गई उस अधिकारी/कर्मचारी का विवरण देकर पावती थी प्राप्त की जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 कम्पयूटर के प्रिंटर मे काटरेज की खरीद एवं कार्टरेज भरवाने के लिये किये गये व्यय के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा कम्पूयटर के Printers के लिये समय–2 पर Cartridges की खरीद करने पर तथा Cartridges को भरवाने के लिए व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित Maintenance Register का रख–रखाव नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सोसाईटी में स्थापित कौन–2 से कम्पयूटर के प्रिटंर को refill करवाया गया था और कौन–2 से कम्पयूटर के प्रिंटर के लिये नये Cartridges का क्रय किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सोसाईटी में स्थापित कम्पयूटर के प्रिटर के Cartridges की refill या नये Cartridges की खरीद से सम्बन्धित Maintenance Register का रख–रखाव किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गए कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर–स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर–स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स निधि से जितनी भी स्थाई तथा अन्य कीमती सामग्री खरीदी गई है उन सबको सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर दर्ज किया जाए तथा जिन–2 अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बन्धित उपकरण जारी किए गए है उनसे प्राप्ति के एवज में हस्ताक्षर इत्यादि प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे:–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (शहरी) द्वारा खरीदी गई या केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त सामग्री/उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) नहीं करवाया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विविध:–

केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेंन्स सोसाईटी (RLA) शिमला (शहरी) को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) शिमला (शहरी) से केन्द्रीय

ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्षः–** निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii)15/2014 खण्ड–1–7162–7166 दिनांक, 28.11.2014 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप–मण्डल अधिकारी (शहरी) एवं आर0एल0ए0 शिमला (शहरी) जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश शिमला जिला शिमला हि0प्र0

3 निदेशक, (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा............................

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.